जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा/अ.आ./एल.पी.सी./13/डी- 1339

दिनांकः– 20-9-13

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 99वीं बैठक दिनांकः 12.09.13 को अपरान्ह 1.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में "चिन्तन सभा कक्ष" में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		99:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 97वीं व 98वी बैठक दिनांक 14.08.013 व 21.08. 013 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति एवं निस्तारण समिति की 97 वीं व 98 वी बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।
2.	13	99:2	राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित निम्नाकिंत 11 पात्र अध्यापकों को आवासीय भूखण्ड आवटंन करने बाबत– 1.श्रीमती गिरिजा वैष्णव 2.श्री महेश चन्द्र शर्मा 3.श्री बलदेव प्रसाद यादव 4.श्री कन्हैया लाल भट्ट 5.श्री वासुदेव लवानिया 6.श्री गौरीशंकर कुमावत 7.श्री लक्ष्मण सिंह 8.श्री राधेश्याम लडडा 9.श्री अरविन्द कुमार जैन 10.श्री पूनम चन्द जोशी 11श्रीमती रश्मि शर्मा	राजस्थान सुधार न्यास(शहरी भुमि निस्तान्तरण)नियम 1974 के नियम 17ए के तहत राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रस्तावित सभी 11 पात्र अध्यापकों को प्राधिकरण की पीताम्बरा आवासीय योजना में योजना की आवासीय आरक्षित दर पर भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय लिया गया। भूखण्डो का आवंटन उक्त आवासीय योजना में उपलब्ध भूखण्ड सं. ई–2 से ई–13, ई–16 से ई–29 ,ई–32,से ई–45 व ई–48 से ई–59 में से प्रत्येक को 200 वर्गमीटर का भूखण्ड आवटंन लॉटरी द्वारा किया जायेगा। शिक्षा विभाग को इन 11 आवंटी अध्यापकों की सूची सूचनार्थ प्रेषित की जावे।साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त अध्यापकों के प्रकरणों में भूखण्ड आवंटन के प्रस्तावों पर विचार करने से पूर्व शिक्षा विभाग की अनुशसा प्राप्त की जावें।

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

3.	10	99.3	जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि. को ग्राम बगराना के खसरा नं. 248 में से 10 बीघा भूमि बस स्टैण्ड, पार्किंग एवं रखरखाव हेतु आरक्षित करने बाबत।	जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि. को ग्राम बगराना स्थित खसरा नं. 248 मे से 10 बीघा भूमि बसो की पार्किंग एवं रखरखाव हेतु निम्न शर्तो पर आरक्षित करने का निर्णय लिया गया:— 1.भूमि का आरक्षण भूमि के उक्त वर्णित उपयोग हेतु किया जा रहा है। भूमि का स्वामित्व प्राधिकरण का ही रहेगा। 2.आवंटी संस्था द्वारा भूमि का उपयोग बसों की पार्किंग एवं रखरखाव हेतु ही किया जायेगा। 3 भूमि पर.बसों की पार्किंग एवं रखरखाव हेतु आवश्यक निर्माण कार्य प्राधिकरण के नोर्म्स के अनुसार ही अनुज्ञेय होगे।
4.	13	99.4	राजस्व ग्राम चोंप तह.आमेर में राजस्थान राज्य विंद्युत प्रसारण निगम लि. को आवटित की गई भूमि को निगम की सहायक कम्पनी पिंकसिटी ट्रांसमिशन सर्विस कम्पनी लि. के नाम करने बाबत।	विचार विमर्श उपरान्त राजस्थान राज्य विंद्युत प्रसारण निगम लि. की सहायक कम्पनी पिंकसिटी ट्रांसमिशन सर्विस कम्पनी लि. को राज्य सरकार के द्वारा प्रदत स्वीकृति कमाक पं. 3(618)न.वि. वि/3/2012/दिनांक—3.01.13 के कम मे राजस्व ग्राम चोंप स्कीम की निर्धारित आरक्षित दर पर 20 हैक्टेयर भूमि आवटंन करने का निर्णय लिया गया।
5.	15	99.5	श्री निवास काबरा जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता कम्पनी मैसर्स पिन्चा होम बिल्डर्स सिद्वा पी.एस.आई.डी. एल टाउनशिप प्रा.लि एंव मैसर्स आर.डी.बी रियल्टी प्रा.लि पंजीकृत कार्यालय 2—बी ग्राण्ड लैन, द्वितीय तल,रूमनं.201 कोलकाता—700012 की योजना यूनिक सिटी के रास्ते हेतु ग्राम बगरूखुर्द तहसील सांगानेर के जविप्रा/ सरकारी भूमि खसरा नम्बर 142 में से 445 बर्गमीटर भूमि को विनिमय के तहत उतनी ही भूमि सडक की ओर आरक्षित जविप्रा को करने बाबत्।	विचार विमर्श करने के उपरान्त प्रस्ताव अनुसार योजना यूनिक सिटी के मध्य में ग्राम बगरूखुर्द के खसरा नम्बर 142 किस्म गैर मुमकिन रास्ता क्षेत्रफल 445 वर्गमीटर भूमि को श्रीनिवास काबरा जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता कम्पनी मैसर्स पिन्चा होम बिल्डर्स प्रा. लि, मैसर्स सिद्वा पी.एस.आई.डी.एल. टाउनशिप प्रा.लि एवं मैसर्स आर.डी.बी. रियलटी प्रा.लि. को आवंटी द्वारा उतनी ही भूमि 12 मीटर चौडी सडक पर भूखण्ड संख्या ए—1 से ए—3 कुल क्षेत्रफल 448.69 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को समर्पित करने पर विनिमय किये जाने का निर्णय लिया गया । जविप्रा को समर्पित उक्त भूखण्डो का निस्तारण नीलामी द्वारा किया जावे।

बैठक सधन्यवाद् समाप्त की गई।

सदस्य सचिव
अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त / अभियांत्रिकी–द्वितीय / आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व / पश्चिम / एल.पी.सी. / भूमि), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
15. उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
16. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
17. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
18. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव एवं अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर